राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कुकरखेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत कुकरखेडा

निर्णय दिनांकः– 03.06.2015

1. श्री गोपालसिंह पिता पूरण सिंह निवासी सुनारकुडी तहसील भीम

बनाम

2. श्री पूनमसिंह पिता देवा निवासी सुनारकुडी तहसील भीम
3. श्रीमति रतनी बेवा देवा निवासी सुनारकुडी तहसील भीम
4. श्री भंवरसिंह पिता देवा निवासी सुनारकुडी तहसील भीम
5. श्री घीसा सिंह पिता देवा निवासी सुनारकुडी तहसील भीम
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रकरण संख्या :– 57/2013 रे.वा. **अन्तर्गत धाराः– 53, 88 आर.टी.ए**

वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व में मौजा सुनारकुडी पटवार मंडल कुकरखेडा में निम्न वर्णित आराजियात स्थित है।

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
2039	1 विस्वा	बारानी 1
2040	2 विस्वा 15 विस्वांसी	चाही1

कुल किता 2 रकबा 3 विस्वा 15 विस्वांसी

वर्णित मौजा सुनारकुडी आराजियात में वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 का 1/4 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादीगणों के बीच संयुक्त रूप से उक्त आराजियात का उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे है। मौके पर जमीन बराबर बंटी नहीं होने से किसी के पास कम व किसी के पास ज्यादा भूमि होने के कारण फसल बोते व काटते समय हमेशा लडाई झगडा होता रहता है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगणों से उक्त जमीन का बंटवारा करने हेतू कहा मगर हमेशा प्रतिवादी टालमटोल करते आ रहें है। उक्त प्रकरण में इन पक्षकारो के बीच आज दिंनाक 03.06.2015 राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार 2015'' कैम्प कुकरखेडा मे वादी एवं प्रतिवादीगणों को आपसी समझाइश से लोकअदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो चुका है। अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगणों की आपसी समझाइश कर मौजा सुनारकुडी आराजियात में वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 का 1/4 हिस्सा है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगणों को मौके पर जिस जगह आराजियात पर काबिज है उस अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगणों को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द